न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 52/2021 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

आबास बनाम मोहम्मद रहीम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री हुकमसिंह गोदारा

विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

निर्णय दिनांक – 02.09.2021

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत सरहद मौजा धनाऊ में खेत खसरा सं. खेत खसरा सं. 729/453 रकबा 05.11 बीघा, खसरा सं. 731/453 रकबा 03.00 बीघा, खसरा सं. 735/454 रकबा 01.08 बीघा, खसरा सं. 773/476 रकबा 03.12 बीघा, खसरा सं. 776/478 रकबा 01.09 बीघा, खसरा सं. 780/454 रकबा 00.05 बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ , अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा धनाऊ के खेत खसरा सं. 729/453 रकबा 05.11 बीघा, खसरा सं. 731/453 रकबा 03.00 बीघा, खसरा सं. 735/454 रकबा 01.08 बीघा, खसरा सं. 773/476 रकबा 03.12 बीघा, खसरा सं. 776/478 रकबा 01.09 बीघा, खसरा सं. 780/454 रकबा 00.05 बीघा की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से एवं किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1088 दिनांक 06/09/2021

प्रार्थी :-
1.आबास पुत्र मुबीन खान
जाति मुसलमान,निवासी धनाऊ
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-
1.मोहम्मद रहीम 2.हासम खान पि. लाल मोहम्मद 3.मोहम्मद रहीम 4.लतीफ 5.शरीफ पि. मीरा खान 6.मिठू पुत्र हाजी जोधा, जातियान मुसलमान, 7.रायमल पुत्र पाताराम जाति मेघवाल 8.विमला देवी पत्नि रतनलाल, जाति ओसवाल, निवासी धनाऊ,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
9.ग्राम पंचायत धनाऊ जरिये सरपंच

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 52/2021 दिनांक : **02.09.2021**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र धनाऊ के मौजा धनाऊ के **खेत खसरा सं. 729/453 रकबा 05.11 बीघा, खसरा सं. 731/453 रकबा 03.00 बीघा, खसरा सं. 735/454 रकबा 01.08 बीघा, खसरा सं. 773/476 रकबा 03.12 बीघा, खसरा सं. 776/478 रकबा 01.09 बीघा, खसरा सं. 780/454 रकबा 0.05 बीघा** भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पैमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमी की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे| नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नही किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1089 to 1092 दिनांक 06/09/2021

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी आबास
3. विप्रार्थीगण मोहम्मद रहीम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन